POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 02

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

देश में पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को श्रीगणेश किया गया था। जिसका मकसद ग्राम स्वावलम्बन और ग्रामीण विकास को साकार रूप देना था। वर्ष 1994 में भी पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए।

इनमें ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने पर भी बल दिया गया। ग्रामीण विकास में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की गई। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में आयोजना समितियों के गठन की भी व्यवस्था है। जिससे ग्रामीण विकास की योजनाएं ग्रामवासियों की इच्छानुसार बने एवं उनका क्रियान्वयन भी उनकी देखरेख में हो सके। गांवों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को भी पंचायती राज व्यवस्था में जोड़ा गया।

यह उचित माना गया था कि राजकीय व अन्य योजनाओं में ग्रामीणजनों की पूरी देखरेख हो। इसके लिए विकास कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था भी है।

संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने व निगरानी समितियों के गठन का भी प्रावधान है। लेकिन आज भी पंचायती राज व्यवस्था में यह सब विधिवत क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

राज्य की नई सरकार इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हुए यदि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का बीड़ा उठाती है तो, इससे सही मायने में हमारा लोकतंत्र सशक्त हो सकेगा।

बिजली चोरी गैर जमानती अपराध

बिजली चोरी रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून राजस्थान में भी लागू है। बिजली की चोरी करना कानूनन गैर जमानती अपराध है। कानून में बिजली चोरी रोकने के कई सख्त प्रावधान भी किए गए हैं।

- बिजली चोरी पकड़े जाने पर अपराधी का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और उस पर 24 घंटे में पुलिस में मामला दर्ज करा दिया जाएगा। चोरी और दूसरी श्रेणी में बिजली का उपयोग करने पर जुर्माना या तीन साल की सजा अथवा दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
- बिजली चोरी की मात्रा का निर्धारण बारह माह के उपभोग के आधार पर होगा और जुर्माना राशि दो गुनी होगी। जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर वसूली जाएगी। दो या अधिक बार बिजली चोरी पकड़े जाने पर अपराधी को किसी भी हाल में दो साल से पहले दुबारा कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा।
- दस किलोवाट तक की बिजली चोरी के मामलों में पहली बार तीन गुना और दूसरी बार पकड़े जाने पर छह गुना तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इससे अधिक चोरी के मामलों में उक्त जुर्माने के अलावा 6 माह से 5 साल तक की जेल की सजा से भी दण्डित किया जा सकेगा।

जेडीए और नगर निगम दे हर्जाना

जयपुर निवासी अशोक कुमार शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और जयपुर नगर निगम के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उनकी मां के नाम 1970 में जयपुर की लक्ष्मीनारायणपुरी योजना में भूखण्ड आवंटित हुआ था। वर्ष 1971 में उनके पिता व वर्ष 1972 में मां का देहान्त हो गया। उन्हें 1973 में भूखण्ड आवंटन की जानकारी मिली तो उन्होंने कब्जा लेने के लिए आवेदन किया। इस पर उनसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया, जो उन्होंने 1999 में पेश कर दिया। इसके बावजूद उन्हें भूखण्ड का कब्जा नहीं मिला। इस बीच मामला उपभोक्ता आयोग में भी पहुंचा, लेकिन उसे वापस मंच को लौटा दिया गया।

मामले की सुनवाई पर मंच ने जेडीए और नगर निगम को दोषी माना। मंच ने जेडीए पर 10 लाख रुपए और नगर निगम पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है, दोनों से 50-50 हजार रुपए परिवाद खर्च भी देने को कहा है। साथ ही पूर्व में जमा हो चुकी राशि के आधार पर भू खण्ड का कब्जा देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मंच ने देरी के लिए तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों से उक्त हर्जाना राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने व उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 33 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2014 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'जैविक खेती'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2014 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2015 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

नहीं हुआ सांसद कोष से एक पैसा खर्च

सांसद कोष से अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के काम करने में मौजूदा सांसदों का रिकॉर्ड भी पुराने सांसदों से बेहतर नहीं है। केन्द्र सरकार प्रदेश के नए सांसदों को कोष से खर्चा करने के लिए 60 करोड़ रुपए दे चुकी है। लेकिन अभी तक सात सांसदों ने सांसद कोष से खर्च का खाता भी नहीं खोला है।

केवल दो सांसदों ने पुराने सांसदों की बची राशि में से मंजूरी देकर शुरुआत की है। प्रदेश के सांसदों ने इस साल में अब तक केवल 24 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें से भी महज 10 करोड़ रुपए के काम ही शुरू हो पाए हैं।

सांसद कोष के ऑडिट की तैयारी

सांसदों को मिलने वाली निधि और उसके उचित इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने के लिए केन्द्र सरकार इनकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस निधि को भ्रष्टाचार और धांधली से बचाने के लिए जांच का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री चाहते है कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मिलने वाले इस कोष का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए गाइडलाइन जारी की जा सकती है। सांसदों को निधि से खर्च की गई राशि का ब्योरा एवं निधि से खर्च नहीं होने की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री को देनी होगी।

गांव-ढाणी तक हो पैसे का सदुपयोग

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि सरकार का बड़ा पैसा पंचायत राज के मार्फत गांव-ढाणी तक जाता है। इस पैसे का सही उपयोग हो और वह सही लोगों के हाथों से होकर निचले स्तर तक जाना चाहिए। ऐसे में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के पढ़े-लिखे होने की अनिवार्यता जरूरी की गई थी। इस बारे में उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा पंचायत चुनावों में प्रत्याशी के घर में शौचालय होने की अनिवार्यता लागू कर हमनें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है। इससे दो माह में ही प्रदेश में छह लाख शौचालय बन गए।

ग्रामीणों ने चन्दा कर लगाए शिक्षक

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) स्थित शहीद नानाभाई खांट आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभिभावक संघ ने जनसहयोग से करीब 31 हजार रुपए प्रतिमाह के खर्च पर शिक्षकों की व्यवस्था की है।

शिक्षा के लिए शहीद हुए नानाभाई व वीरबाला कालीबाई की मातृभूमि रास्तापाल के इस स्कूल में बालिकाओं की तादाद ज्यादा है। लेकिन यहां के लिए स्वीकृत 15 में से मात्र 4 शिक्षक ही सरकार ने नियुक्त किए हैं। सरपंच से लेकर ग्रामीण इसके लिए नेताओं व सरकार से मांग करते-करते थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार ग्रामीणों ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुद ने ही पहल की।

खत्म होंगे गैर जरूरी कानून

राज्य सरकार ऐसे कानून, अधिनियम और नियमों को खत्म करने जा रही है, जो आज के दौर में अप्रासंगिक हो चुके है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी घोषणा की है।

ऐसे कानूनों की सूची बनाने और उनको खत्म करने के लिए सरकार ने सभी विभागों को ढाई महीने का समय दिया है। इस प्रक्रिया के तहत करीब ढाई सौ संशोधनों और संशोधित कानूनों को वास्तविक या मौलिक कानून के अधीन कर एक किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार भी ऐसे कई कानूनों की समीक्षा कर रही है, जिनकी आज के दौर में कोई प्रासंगिकता नहीं बची है या उन कानूनों से कई अड़चने खड़ी हो रही है।

रसायनिक खाद से घटी मिट्टी की गुणवत्ता

भरपूर फसल उगाने के लिए पिछले लम्बे समय से उपयोग में ली जा रही रसायनिक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता में भारी कमी आई है।

यह कृषि विभाग द्वारा की गई मिट्टी की जांच में सामने आ रहा है। किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कृषि विभाग की लेब में करा सकते हैं।

बिना मिट्टी की जांच कराए किसानों को रसायनिक खाद उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। हो सके तो रसायनिक खाद से बचें और गोबर-मिंगणी व जैविक खाद का उपयोग करें। रसायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से न केवल मिट्टी की ऊर्वरता घटती है, बल्कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में भी कमी आती है।

राजनीतिक दलों में जातिवाद

आज राजनीतिक दलों में जातिवाद, धनबल और भुजबल बढ़ता जा रहा है। पंचायती राज चुनावों में भी इसकी प्रतिछाया साफ दिखाई दी है। नतीजतन सेवाभावी, ईमानदार और योग्य व्यक्ति चुनकर नहीं आते। यद्यपि, इसबार चुनावों में लागू की गई शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता एक अच्छा कदम है।

चुनाव में चुनकर आने वाली कई महिला जनप्रतिनिधियों के ससुर, पति अथवा पुत्र जो कि पंचायती कार्यों में दखलंदाजी करते हैं उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ग्रामसभा को अहमियत देते हुए अधिकार सम्पन्न बनाया जाए, जिससे आम ग्रामीण की सहभागिता बढ़े। भ्रष्टाचार रोक के लिए सामाजिक अंकेक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए।

- कन्हैयालाल रावत, अजमेर

महिलाओं का है महत्वपूर्ण योगदान

गांव की महिलाएं अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण योगदान तो देती हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ग्रामीण महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशासनिक कार्य उनके पति, ससुर या पुत्र करते हैं। यह चलता रहा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सांसद और विधायक चुनकर आने वाली महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे इन जनप्रतिनिधियों को सशक्त करें।

राजस्थान के कई गांवों का भ्रमण करने के बाद यूएन विमन कनाडा की प्रेसिडेंट अलमास जीवानी ने कहा कि भारत सहित दुनियाभर में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जरूरत उन्हें शिक्षित और अधिकार सम्पन्न बनाने की है।

बकाया अदायगी में देरी क्यों?

मनरेगा कार्यों के तहत 22 करोड़ रुपए से अधिक की बकायादारी है, जिसे अदा करने में अफसरों की सुस्ती सामने आई है। मास्टररोल और व्यय के बिलों के भुगतान के 1004 और 5773 मामले हैं, जिनमें अभी तक भुगतान अदायगी नहीं हुई है।

राज्य के पिछड़े इलाकों में शामिल जिलों में बिलों का भुगतान नहीं होने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए है, जिनमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के अलावा राजसमंद, पाली, नागौर, जयपुर, अजमेर, करौली, जोधपुर और जैसलमेर जिले शामिल हैं। जबकि प्रदेश में नरेगा कार्यों के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की इन देन-दारियों को अदा नहीं करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काफी नाराजगी जता चुका है।

NREGA राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

श्रमिकों के खाते जन-धन योजना में

राज्य के नरेगा विभाग के 18 लाख 47 हजार जॉब कार्डधारी श्रमिकों के खाते प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत रहेंगे। विभाग ने नए श्रमिकों के बैंक खातों को जन-धन योजना में खोलने व मौजूदा खातों को जन-धन योजना में रूपान्तरित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इससे जन-धन योजना में मिलने वाले लाभ स्वतः ही नरेगा श्रमिकों को मिलने लगेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर